जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना शेरकोट **दिनांक 26.05.2026**

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 86/2026 धारा 309(4) बीएनएस से संबंधित घटना में संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.05.2026 को प्रार्थी शिवकांत पुत्र संजीव कुमार निवासी ग्राम शाहनगर कुराली, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर द्वारा थाना शेरकोट पर तहरीर दी गई कि दिनांक 15.05.2026 को समय करीब 01:25 बजे रात्रि वह अपने साथी सौराम पुत्र जयपाल निवासी उपरोक्त के साथ मोटरसाइकिल (UP20CP1774)) स्प्लेंडर से हरेवली अस्पताल में खाना देकर वापस घर जा रहे थे। रास्ते में गिरीराज इंटर कॉलेज, हरेवली के पास एक अर्टिगा कार (UK18TA0636) में सवार अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी मोटरसाइकिल रोककर तमंचे के बल पर मोटरसाइकिल एवं उसका मोबाइल फोन लूट लिया तथा मौके से फरार हो गए ।

इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 86/2026 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

नोट-* *दिनांक 17.05.2026 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा प्रकाश में आयें एक अभियुक्त निकुंज पुत्र राकेश सिंह निवासी टांडा गोरा विक्रमपुर थाना बाजपुर जनपद ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा उसके साथी 02 अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था।

कार्यवाही -

दिनाक 26.05.2026 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा विवेचनात्कम कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आयें अभियुक्त पेलू उर्फ नितिल पुत्र गुरुनाम निवासी ग्राम टाण्डा अमीचन्द्र थाना बाजपुर जनपद उधमसिंहनगर(उत्तराखण्ड) को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त नितिन उर्फ पेलू ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 14/15.05.2026 की रात्रि में वह अपने साथियों अरुण कुमार, आकाश, विवेक कुमार व निकुंज के साथ आर्टिका कार (UK18TA0636) से अफजलगढ़ रोड होते हुए हरेवली की तरफ आया था। सभी की पहले से ही कही लूट की घटना कारित करने की योजना थी।

कस्बा हरेवली की ओर जाते समय उन्हें एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनका उन्होंने पीछा कर कार आगे लगाकर रास्ता रोक लिया। अभियुक्त निकुंज व आकाश ने तमंचा दिखाकर दोनों व्यक्तियों को डरा दिया तथा सभी ने मिलकर उनकी मोटरसाइकिल व एक मोटोरोला कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल फोन लूट लिया। घटना के उपरान्त अभियुक्त नितिन व अरुण उर्फ कालू लूटी गई मोटरसाइकिल को अपने साथ ले गए तथा पुलिस के डर से उसे सड़क किनारे झाड़ियों में छिपा दिया तथा उसके अन्य साथी आर्टिका कार से शेरकोट की तरफ भाग गए थे तथा पुलिस के भय से कार को हाईवे किनारे छोड़कर जंगल की तरफ फरार हो गए थे।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पताः-

पेलू उर्फ नितिल पुत्र गुरुनाम निवासी ग्राम टाण्डा अमीचन्द्र थाना बाजपुर जनपद उधमसिंहनगर(उत्तराखण्ड)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.थानाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2.हे0का0 652 चैन सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3.हे0का0 534 आमेन्द्र चौधरी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

4.का0 1836 नसीब मलिक थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

5.का0 2775 अक्षय कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 26.05.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 404/2026 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्त को चोरी किए मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.05.2026 को वादी विकास कुमार पुत्र पवन कुमार नि0 ग्राम सुमालखेड़ी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी का मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी का चोरी कर लिया गया है। प्राप्त करायी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 404/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त सुभम शर्मा पुत्र विरेन्द्र शर्मा निवासी मौ0 खत्रियान कोतवाली शहर बिजनौर को चोरी किए गये सैमसंग कम्पनी के मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुभम शर्मा पुत्र विरेन्द्र शर्मा निवासी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 183/23 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 0300/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 1121/24 धारा 305(1)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0स0 404/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0स0 737/00 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0स01143/19 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0स0 915/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0स0 445/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

चोरी किया गया एक मोबाईल सैमसंग कम्पनी (बैगनी कलर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 सुभाष चन्द पाठक थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
2. है0का0 420 राजीव को0शहर जनपद बिजनौर।
3. का0 109 संदीप थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
4. रि0का0 273 आकाश गौतम थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हीमपुर दीपा **दिनांक 26.05.2026**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 37/2026 धारा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11(1)क पशु क्रूरता अधिनिमय से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.05.2026 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अकबरपुर तिगरी स्थित जंगल में एक संदिग्ध सेन्ट्रो कार(DL4CS2843) खड़ी है, जिसके पास गौवंशी पशु का शव पड़ा हुआ है।

सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां मौके पर एक गौवंशीय पशु का शव, पशु वध के उपकरण तथा घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुये।

इस संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 37/2026 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11(1)क पशु क्रूरता अधिनिमय बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था, जिसमें 05 अभियुक्तगण 1. राजवीर उर्फ राजू पुत्र रामेश सिंह निवासी ग्राम लदुपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 2. मनोज पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लदुपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 3.बाबू कुरैशी पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम सबदलपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 4.शाहिद पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम राजोपुर बहमन, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर (एच0एस0 नं0 164(A)) व 5.फुरकान पुत्र हसन निवासी ग्राम राजोपुर बहमन, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शेष अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें प्रयासरत थी।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 26.05.2026 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना में संलिप्त एंव प्रकाश में आयें अभियुक्त शाहबाज पुत्र अकरम निवासी ग्राम अथाई थाना हल्दौर थाना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त शाहबाज ने बताया कि वह एवं उसके साथी गौमांस बेचकर अवैध लाभ कमाते थे। अभियुक्त शाहबाज ने यह भी बताया कि दिनांक 07.05.2026 की शाम को उसने अपने साथी बाबू कुरैशी, शाहिद व फुरकान के साथ मिलकर अकबरपुर तिगरी के जंगल में गौकशी की थी। उक्त गौवंशीय पशु को अभियुक्तगण राजवीर उर्फ राजू व उसके पुत्र मनोज निवासीगण ग्राम लदुपुरा द्वारा उनके कहने पर जंगल में बांधा गया था।

घटना के दौरान पुलिस एवं कुछ स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर सभी मौके पर मृत गौवंशीय पशु का शव, सेन्ट्रो कार व उपकरण छोड़कर फरार हो गए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पताः-

शाहबाज पुत्र अकरम निवासी ग्राम अथाई थाना हल्दौर थाना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार अभियुक्त शाहबाज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0स0 320/2023 धारा 380/411/413/414/420/457/467/468 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

2- मु0अ0स0 239/2023 धारा 379 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3- मु0अ0स0 257/2023 धारा 379 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

4- मु0अ0सं0 265/2023 धारा 380/411/413/414/420/467/468 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

5- मु0अ0सं0 284/2023 धारा 380/411/413/414/420/467/468 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

6- मु0अ0सं0 325/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

7- मु0अ0सं0 692/2023 धारा 380/411/413/414/420/467/468 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

8- मु0अ0स0 213/2023 धारा 380/411 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर

9-मु0अ0स0 292/2024 धारा 109 भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर

10-मु0अ0सं0 319/2024 धारा 3(5), 61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता व 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

11-मु0अ0स0 37/2026 धारा 3/5क/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11(1) क पशु क्रूरता अधिनियम थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1- व0उनि0 श्री कर्मवीर सिंह तालान थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2- उ0नि0 श्री रजत चौधरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

3- हे0का0 668 अमित वर्मा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

4- का0 2426 शक्तिराम थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

5- का0 2441 अजयपाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना मण्डावली **दिनाँक 26.5.2026**

थाना मण्डावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 51/26 धारा 305(a)/317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.05.2026 को वादी श्री नरेश कुमार पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर द्वारा थाना मण्डावली पर तहरीर दी गई कि उनके द्वारा अभियुक्त साहिल पुत्र अहसान निवासी ग्राम भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को उसके तथा उसके पड़ोसी के घर से चोरी किए गए 02 गैस सिलेंडर, केबिल के जले हुए तार एवं बोरिंग ट्यूबवेल का लोहे का ऊपरी हिस्सा चोरी करते हुए पकड़ लिया गया और थाना मण्डावली लाया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर **मु0अ0सं0 51/2026** धारा **305(a)/317(2)** बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्त साहिल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

साहिल पुत्र अहसान निवासी ग्राम भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार अभियुक्त साहिल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0-044/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना मण्डावली, जनपद बिजनौर
2.मु0अ0स0-045/26 धारा 303(2)/317(2)बीएनएस थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
3.मु0अ0स0-051/26 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1.चोरी किए गए 02 गैस सिलेंडर
2.केबिल के जले हुए तार
3.बोरिंग ट्यूबवेल का लोहे का ऊपरी हिस्सा

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद **दिनांक 26.05.2026**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 243/2026 धारा 305(क)/331(4) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों को चोरी किये गये 1200/- रूपये के साथ किया गिरफ्तार।

विवरण-

दिनांक 25.05.2026 को थाना नजीबाबाद पर वादी नितिन अग्रवाल पुत्र अनिल अग्रवाल निवासी मौ0 सेवाराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की दुकान से ताला तोडकर बीढी के बण्डल, कुछ सिगेरट व गल्ले मे से 1200/- रूपये, चोरी कर ली है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0-243/2026 धारा 305(क)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

विवेचात्मक कार्यवाही के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्तगण 1.मौ0 अरशान पुत्र स्व0 शरीफ अहमद निवासी स्टेडियम कॉलोनी वार्ड नं0 10 कोटद्वार थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल उत्तराखण्ड 2.राजेश शुक्ला पुत्र अजय शुक्ला निवासी लकडी पडाव वार्ड नं0- 05 थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल उत्तराखण्ड 3. मौ0 आफताब पुत्र मौ0 छिद्दु निवासी लकडी पडाव वार्ड नं0- 05 थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल उत्तराखण्ड के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाहीः-

दिनांक 25.05.2026 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1.मौ0 अरशान पुत्र स्व0 शरीफ अहमद निवासी स्टेडियम कॉलोनी वार्ड नं0 10 कोटद्वार थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल उत्तराखण्ड 2.राजेश शुक्ला पुत्र अजय शुक्ला निवासी लकडी पडाव वार्ड नं0- 05 थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल उत्तराखण्ड 3. मौ0 आफताब पुत्र मौ0 छिद्दु निवासी लकडी पडाव वार्ड नं0- 05 थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल उत्तराखण्ड को चोरी किये गये 1200/- रूपये व घटना में प्रयुक्त सरिया सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.05.2026 की रात्रि में उन्होंने ओवरब्रिज के नीचे स्थित दो दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना कारित की थी। अभियुक्तों ने बताया कि एक दुकान से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जबकि दूसरी दुकान के गल्ले से ₹100 के 12 नोट, कुल ₹1200/- तथा कुछ बीड़ी-सिगरेट चोरी की थी। चोरी की गई बीड़ी-सिगरेट अभियुक्तों द्वारा उपभोग कर ली गई तथा चोरी की धनराशि आपस में बांट ली गई थी।

बरामदगी का विवरण-

1.कुल 1200 रूपये नकद

2.घटना में प्रयुक्त एक लोहे का सरिया

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.मौ0 अरशान पुत्र स्व0 शरीफ अहमद निवासी स्टेडियम कॉलोनी वार्ड नं0 10 कोटद्वार थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल उत्तराखण्ड

2.राजेश शुक्ला पुत्र अजय शुक्ला निवासी लकडी पडाव वार्ड नं0- 05 थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल उत्तराखण्ड

3. मौ0 आफताब पुत्र मौ0 छिद्दु निवासी लकडी पडाव वार्ड नं0- 05 थाना कोटद्वार जनपद पौडी गढवाल उत्तराखण्ड

अपराधिक इतिहास-

1. गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 अरशान-

1.मु0अ0स0-243/2026 धारा 305(क)/331(4)/317(2) थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0-25/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोटद्वार जनपद पौढीगढवाल उत्तराखण्ड

2. गिरफ्तार अभियुक्त राजेश शुक्ला-

1.मु0अ0स0-243/2026 धारा 305(क)/331(4)/317(2) थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0-41/24 धारा 380/457/411 भादवि थाना कोटद्वार जनपद पौढीगढवाल उत्तराखण्ड

3.मु0अ0स0-42/24 धारा 380/457/411 भादवि थाना कोटद्वार जनपद पौढीगढवाल उत्तराखण्ड

4.मु0अ0स0-184/25 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोटद्वार जनपद पौढीगढवाल उत्तराखण्ड

5.मु0अ0स0-32/24 धारा 380/457/411 भादवि थाना कोटद्वार जनपद पौढीगढवाल उत्तराखण्ड

3.गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 आफताब-

1.मु0अ0स0-243/2026 धारा 305(क)/331(4)/317(2) थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0-41/24 धारा 380/457/411 भादवि थाना कोटद्वार जनपद पौढीगढवाल उत्तराखण्ड

3.मु0अ0स0-42/24 धारा 380/457/411 भादवि थाना कोटद्वार जनपद पौढीगढवाल उत्तराखण्ड

4.मु0अ0स0-25/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोटद्वार जनपद पौढीगढवाल उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.हे0का0 105 सोमपाल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3.का0 66 विवेक कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4.का0 1572 शादाब थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर